बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30.11.07

संख्या-2/टी-61/07-1350(2)/ बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सहायक अंशेनिक शल्य चिकित्सक के पद पर विज्ञापन संख्या-93/98 प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं समादेश याचिका संख्या-7121/03 एवं सी०डब्लू०जे०सी० सं0-12448/03 मे दिनांक 24.6.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक मे विभागीय पत्रांक 1143(2) दिनांक 21.09.2007 से निर्गत अधिसूचना के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित चिकित्सकों को नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया था । उस अधिसूचना के आलोक में योगदान देने वाले निम्नलिखित चिकित्सकों को औपबंधिक रूप से छः माह के लिए सहायक अंशेनिक शल्य चिकित्सक (मूल कोटि) के पद पर रू0 6500-10500/-रू0 के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ नियुक्त करते हुए जिलो मे पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	BPSC का योग्यता क्रमांक	BPSC का रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	योग्यता	आरक्षण श्रेणी	पदस्थापित जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	46	11722	डा0 रौशन कुमार	27.03.1971	मधुबनी	MD (Gen. Med)	सामान्य	बेगुसराय
2.	71	10866	डा0 माला कुमारी	27.08.1973	मधुबनी	MD (Pathology)	सामान्य	बेगुसराय
3.	99	14146	डा0 शिल्पा कुमारी	04.11.1973	औरंगाबाद	DGO	सामान्य	सारण
4.	102	14824	डा0 संदीप कुमार	14.11.1976	नवादा	DM (Cardiology)	सामान्य	भोजपुर (प्रतिनियुक्त पी0एम0सी0एच0)
5.	137	104470	डा0 अमिताभ कुमार सिन्हा	30.12.1970	पटना	DNB (Urology)	सामान्य	नालन्दा (प्रतिनियुक्त पी0एम0सी0एच0)
6.	148	13002	डा0 अभय शंकर ठाकुर	17.07.1966	मधुबनी	DCH	सामान्य	समस्तीपुर
7.	169	11551	डा0 अहसान अहमद	06.06.1972	मुजफ्फरपुर	MS (Gen. Surg.)	सामान्य	समस्तीपुर
8.	170	11336	डा0 तरूण कुमार सिंह	05.03.1965	मधेपुरा	MBBS	सामान्य	पूर्णियाँ

9.	215	12119	डा0 अरविन्द कुमार सिंह	24.05.1965	वैशाली	MD (Medicine)	सामान्य	नवादा
10.	20	13979	डा0 गीतांजली कुमारी	21.07.1967	जहानाबाद	MBBS	पिछड़ा वर्ग	अरवल
11.	225	11271	डा0 रंजना सिन्हा	01.01.169	पटना	MBBS	पिछड़ा वर्ग	नालन्दा
12.	227	13013	डा0 शरद कुमार	25.07.1965	पूर्णियाँ	MD(Gen. Med.)	पिछड़ा वर्ग	अररिया
13.	27	12227	डा0 जरीन प्रवीन	03.12.1970	भोजपुर	MBBS	एम0बी0सी0	बक्सर
14.	43	13346	डा0 मो0 जुबैर सलफी	06.07.1970	दरभंगा	MBBS	एम0बी0सी0	सारण
15.	48	13758	डा0 मो0 एजाज अहमद	03.04.1973	प0 चम्पारण	MBBS	एम0बी0सी0	पू0 चम्पारण
16.	53	13841	डा0 अरशद अयूब	14.12.1970	मुजफ्फरपुर	DLO	एम0बी0सी0	पू0 चम्पारण
17.	13	12613	डा0 उमेश चन्द्र	27.05.1975	गया	MD (Microbiology)	एस0सी0	भोजपुर
18.	30	12704	डा0 अनीता अरुण	15.08.1972	मधुबनी	MBBS	एस0सी0	बाँका
19.	76	10296	डा0 सीमा सरोज	09.10.1971	गोपालगंज	MBBS	एस0सी0	सीवान
20.	77	10111	डा0 राजेश कुमार चिन्तन	08.04.1973	दरभंगा	MBBS	एस0सी0	मधुबनी
21.	3	13056	डा0 निशा	08.04.1969	नवादा	MD (Obs & Gyn.)	बी0सी0 लेडी	नालन्दा

2. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि इनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन इनके प्रतिकूल होगा अथवा प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी ।

3. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0के0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति द्वारा निगर्त आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवासीय प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे ।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान करते समय एक अभिप्रमाणित फोटो साथ में लाना होगा ।

6. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 भी लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार का नियोजन नहीं करेंगें एवं गैर व्यावसायिक भत्ता का माँग नहीं करेंगें ।

7. उक्त चिकित्सकों पर यह शर्त भी लागू रहेगा कि प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि से कम से कम एक ही स्थान पर देहाती क्षेत्र में तीन वर्षों की लगातार सेवा देंगे ।

8. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 7834(2) दिनांक 22.11.95 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा 45 वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण की अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे ।

9. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित जिलों में दिनांक 10.12.2007 को योगदान देंगे। जो चिकित्सक 10.12.2007 को योगदान नहीं देते है उन्हें अन्तिम मौका के तौर पर 20.12.2007 को योगदान करने की स्वीकृति दी जाती है ।

10. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण पत्र (जाति एवं आय प्रमाण पत्र सहित) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को सूचना अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ऐसे नियुक्तियों को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा । ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने हेतु किसी पूर्व सूचना देन की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा संपुष्ट की जायेगी । इस अवधि तक उक्त चिकित्सक किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश में नहीं जायेंगे । उक्त अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

12. सभी सम्बंधित चिकित्सक प्रशिक्षण के बारे में राज्य स्वास्थ्य समिति से समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और प्रशिक्षण में निश्चित रूप से भाग लेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार) 30/11
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -2/टी-61/07- 1350(2) पटना, दिनांक 30.11.07

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वि0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव 30/11

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ /सभी संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इन चिकित्सकों को वास्तविक स्थल पर पदस्थापन करते हुए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय -

(i) ये चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही पदस्थापित होंगे ।

(ii) स्त्री रोग विशेषज्ञ वैसे जगहों पर पदस्थापित होंगे जहाँ प्रसव की संख्या अधिकतम हो । अन्य विशेषज्ञ वैसे जगहों पर पदस्थापित होंगे जहाँ पर रोगियों की संख्या अधिक हो ।

(iii) विशेषज्ञों को एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द का भी प्रभार दिया जा सकता है । जहाँ पर सप्ताह में निर्धारित दो दिनों को वे ड्यूटी करेंगे ।

सभी सिविल सर्जन से यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त चिकित्सा पदाधिकारियों से सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका-2 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करने एवं सम्पत्ति का भी ब्यौरा प्रस्तुत करने का निदेश देने की कृपा की जाय । साथ ही साथ यह निर्देश दिया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या-2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -2/टी-61/07- 1350(2) पटना, दिनांक 30.11.07

प्रतिलिपि - सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री,, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,8,9,10 एवं 17/ कम्प्यूटर कोषांग, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव